रजिस्टर्ड

निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः–एफ 24( ) लेखा/अनु/आकाशि/RVRES/11-12/91 दिनांकः–24-2-2012

सचिव,
प्रबन्ध समिति,
समस्त अनुदानित महाविद्यालय,
राजस्थान

विषयः–राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम (RVRES) 2010 के तहत कार्यग्रहण करने वाले अशैक्षणिक कार्मिको का सेवा रिकार्ड लौटाने बाबत ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभाग द्वारा जारी आदेश 186 दिनांक 17.2.12 के अनुसार पालना रिर्पोट की फोटो प्रति व्यक्तिशः प्रस्तुत किये जाने के पश्चात राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम (RVRES) 2010 के तहत उपस्थिति दर्ज करने वाले अशैक्षणिक कार्मिको का सेवा रिकार्ड प्राप्त कर, निम्न की पूर्ति कर कार्मिको का सेवा रिकार्ड अग्रिम आदेशों तक संस्था में ही रखें ।

1. कार्मिको की सेवा पुस्तिकाओं में कार्यमुक्ति तक की अवधि तक का सेवा सत्यापन कर आवश्यक प्रविष्टि करावें तथा कार्यमुक्ति की भी प्रविष्टि अंकित करावें ।
2. कार्मिको को कार्यमुक्ति की तिथि तक राज्य सरकार के आदेशों के अनुरूप देय 9, 18 व 27 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ नहीं दिया गया हो तो इस सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही करवाई जाकर आवश्यक प्रविष्टियों को सेवा पुस्तिका में अंकित करावें ।
3. कार्मिको का दिनांक 01.09.2006 से देय नवीन वेतनमान 2008 में वेतन नियतन नहीं करवाया गया हो तो वेतन नियतन करवाया जाकर आवश्यक प्रविष्टियों को सेवा पुस्तिका में अंकित करावें ।
4. कार्मिको को विभागीय निर्देशों के अनुसार जमा पी.एफ. की राशि लौटाये जाने की आवश्यक प्रविष्टिया सेवा पुस्तिका में करावें ।
5. कार्मिको को कार्यमुक्ति से पूर्व तक वेतन भत्तो आदि का भुगतान किया जाकर आवश्यक प्रमाण पत्र सेवा पुस्तिका में अंकित करावें तथा अन्तिम वेतन प्रमाण पत्र (LPC) राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में तेयार कर संलग्न करावें ।
6. कार्मिको के सम्बन्धित सेवा रिकार्ड मय सेवा पुस्तिका की एक छाया प्रति भविष्य के संदर्भ हेतु संस्था में सुरक्षित रखी जावें ।
7. सेवा पुस्तिका को इस विभाग में भिजवाने से पूर्व निम्न बिन्दुओ के सम्बन्ध में जांच कर ले की सेवा पुस्तिका में सभी आवश्यक प्रविष्टियॉ अंकित है :–
   - (i) जन्म दिनांक का अंकन एवं उसका उचित आधार पर प्रमाणिकरण
   - (ii) कार्यमुक्ति तक अर्जित समस्त शैक्षणिक योग्यता का अंकन एवं उसका प्रमाणिकरण ।
   - (iii) कार्मिक का अनुदानित पद नियुक्ति का लाल स्याही से स्पष्ट अंकन एवं उसके लिए विभाग द्वारा जारी नाम जद अनुमोदन का अंकन ।
   - (iv) कार्मिक को प्रदान किये गये 9, 18 व 27 वर्षीय चयनित वेतनमान वेतनमान स्वीकृत किये जाने का अंकन ।
   - (v) कार्मिक की अनुदानित पद पर नियुक्ति से निरन्तर कार्यमुक्ति तक की अवधि का सेवा सत्यापन ।
   - (vi) कार्मिक का समय–समय पर लागू वेतनमानों में किये गये वेतन नियतन का अंकन
   - (vii) कार्मिक की कार्यमुक्ति दिनाक का अंकन
   - (viii) कार्मिक को जमा पी.एफ. के भुगतान का अंकन
   - (ix) कार्मिक को कार्य मुक्ति तक देय वेतन भत्तो आदि का भुगतान का प्रमाण पत्र का अंकन

Sd/-
(सुबीर कुमार)
निदेशक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
2. निजी सचिव, निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
3. मुख्य लेखाधिकारी कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
4. संयुक्त निदेशक (प्रशासन/कार्मिक) कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
5. उप विधि परामर्शी, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
6. वेबसाईट प्रभारी कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।

संयुक्त निदेशक (अनुदान)
कॉलेज शिक्षा, राज. जयपुर